

अपील सूचना अधिकार संख्या 91/2021 (GCMS 2021/147) RTI No. 212278487041308 श्री बंशीलाल पुत्र श्री हेतराम बिश्नोई गांव भागसर पोस्ट ऑफिस प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा (हनुमानगढ़)-335803 बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

20.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बंशीलाल आज उपस्थित नहीं है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2021 से उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.09.2021 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. गांव ठेठार, पटवार हल्का ठेठार (तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 77/4 में किन-किन विभागों, निजी खातेदारों की भूमि है, खसरा 77/4 का निजी खातेदारों, राजकीय भूमि की भौगोलिक स्थिति (लोकेशन) को क्षेत्रफलवार दर्शाते हुए नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. खसरा नम्बर 77/4 में स्थित भूमि में किन-किन किसानों की कितनी-कितनी टी.सी कृषि भूमि अधिकार दिये हुए है, कृषक का नाम एवं उनसे संबंधित टी.सी. कृषि भूमि के क्षेत्रफल की सूचना उपलब्ध करावें। खसरा नम्बर 77/4 में टी.सी. कृषि भूमि हेतु कृषको को कृषि अधिकार दिखाने से संबंधित दस्तावेजों, नोटशीटों की सत्यापित प्रतिलिपियां उपलब्ध करावें।

जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

3. गांव ठेठार पटवार हल्का ठेठार, (तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर) में श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई को खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टेयर भूमि के नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। उक्त 2.277 है, भूमि के चारों कोनों की भौगोलिक स्थिती (latitude and longitude) के मान की सूचना उपलब्ध करावें।
4. खसरा नम्बर 77/4 में से गुजरने वाले प्रस्तावित राजमार्ग हेतु श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई को खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टेयर भूमि में से कितनी भूमि राजमार्ग हेतु अधिग्रहण की गई है या की जानी है तथ अधिग्रहण के पश्चात श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई की राजमार्ग के दानो और शेष बचने वाली भूमि के क्षेत्रफल की अलग-अलग सूचना उपलब्ध करावें एवं उक्त सूचना जिस दस्तावेजों के आधार पर तैयार की जाये उन दस्तावेजों की सत्यापित फोटोप्रतियां उपलब्ध करावें। (संलग्न भूमि का गुगल मैप)
5. खसरा नम्बर 77/4 में से गुजरने वाले प्रस्तावित राजमार्ग हेतु श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई को खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टेयर भूमि में से राजमार्ग हेतु अधिग्रहण की गई है या की जाने वाली करावें एवं उक्त नोटिस श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई को प्राप्त हुए या नही इसकी सुनिश्चितता किस प्रकार की गई, से संबंधित सूचना एवं दस्तावेजो की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करावें, यदि नोटिस by hand दिये गये हो तो प्राप्ति से संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करावें।
6. खसरा नम्बर 77/4 में से गुजरने वाले प्रस्तावित राजमार्ग हेतु श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई के खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टेयर भूमि में से राजमार्ग का गुजरना प्रस्तावित है उक्त राजमार्ग हेतु क्या भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है यदि हां तो अधिग्रहण हेतु संबंधित खातेदार की सहमति लिये जाने से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करावें। उक्त अधिग्रहण की जाने वाली भूमि हेतु मुआवजा राशि की गणना किस प्रकार की गई या की जानी है, गणना किये जाने से संबंधित दस्तावेजों/नोटशीटों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। उक्त मुआवजा राशि किस कार्यालय से प्राप्त की जानी है, सूचना उपलब्ध करावें।

7. गांव ठेठार, पटवार हल्का ठेठार, (तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर) में श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई को खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टर भूमि के घग्घर घेरे के नजदीक बिन्दु से घग्घर की सीमा/पेटे/घेरे की सीमा एवं दूरी को दर्शाते हुए नक्शों की सत्यापित प्रतिलिपि एवं सूचना उपलब्ध करावें।
8. गांव ठेठार, पटवार हल्का ठेठार, (तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर) के खसरा नम्बर 77/4 में गत 5 वर्षों में किसी को भूमि आवंटित की गई हो तो आवंटित भूमि एवं आवंटी का विवरण उपलब्ध करावें।
9. खसरा नम्बर 77/4 के नजदीक भौगोलिक मान 29°16'10.9"N, 74°11'02.1"E (29.269683, 74.183902) (location in latitude and longitude by google map) से घग्घर घेरे/सीमा की न्यूनतम सीधी दूरी एवं उस बिन्दु का भौगोलिक मान (latitude and longitude by google map) की सूचना उपलब्ध करावें।
10. खसरा नम्बर 77/4 नजदीक भौगोलिक मान 29°16'10.9"N, 74°11'02.1"E (29.269683, 74.183902) (location by google map) ये घग्घर घेरे/सीमा में किसी को भूमि आवंटित की गई हो, तो संबधित का नाम एवं आवंटित भूमि के क्षेत्रफल से संबधित सूचना उपलब्ध करावे।
11. खसरा नम्बर 77/4 में से गुजरने वाले प्रस्तावित राजमार्ग हेतु खसरा नम्बर 77/4 में की गई या की जाने वाली भूमि अधिग्रहण (acquisition) से संबधित पत्रावली की नोटशीट की सत्यापित फोटो प्रतियां उपलब्ध करावें।
12. भौगोलिक मान (location in latitude and longitude by google map) के निम्नानुसार A,B,C एवं D बिन्दुओं से घिरी हुई सम्पूर्ण कृषि भूमि/भूमि के खातेदारों टी.सी. अधिकार धारियों का नाम, पिता का नाम, पता मय उनके अधिकार में स्थित कृषि भूमि/भूमि क्षेत्रफल की सूचना उपलब्ध करावें।  
A{29°16'23.5"N,74°11'08.2"E(29.273203,74.185614)}  
B{29°16'23.6"N,74°11'04.6"E(29.273228,74.184618)}  
C{29°16'05.5"N,74°11'04.3"E(29.268198,74.184517)}  
D{29°16'06.7"N,74°11'08.8"E(29.268514,74.185767)}

**उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक सूकाअ/2021**

**/1070 दिनांक 13.07.2021 से तहसीलदार, सूरतगढ को निम्नानुसार**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी बंशीलाल पुत्र श्री हेतराम बिश्नोई गांव भागसर, पो.ओ. प्रेमपुरा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध आपके कार्यालय से होने के कारण उक्त मूल आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत मूल ही मय पोस्टल ऑर्डर रू. 10/- (52 एफ 314293) आपको हस्तान्तरित (Transfer) किया जाता है। अतः आप आवेदक को अधिनियम के प्रावधानों के तहत वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में नियमानुसार उपलब्ध करवाने का श्रम करें। यदि वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो आवेदन पत्र सीधे ही निकटतम संबंधित कार्यालय को भिजवाकर आवेदक को सूचित करावें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

-sd-

(मनोज कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी का धारा 6(3) का प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सूरतगढ को स्थानान्तरित किया जा चुका है इसलिए प्रार्थी को वांछित के सम्बन्ध में तहसीलदार, सूरतगढ से सम्पर्क करना चाहिए था और सूचना उपलब्ध न होने की दशा में तहसीलदार(राजस्व), सूरतगढ के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दपतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जाकिर हुसैन)  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर